

उत्तर मध्य रेलवे के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची संख्या-55 दिनांक-04.12.2018 का राजभाषा में अनुवाद ।

1. वर्तमान स.नि. 3.61/2 (क) (i), (ii), (iii) एवं (iv) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(संदर्भ : ई.डी./सेफटी-II/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.-98/सेफटी(ए एंड आर)/19/16 दिनांक-23.10.2018)

स.नि. 3.61/2 (क) लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ : लोको पायलट कोहरे के दौरान गाड़ी की गति के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाई करेगा :-

- (i) कोहरे के दौरान जब लोको पायलट अपने विवेक से यह समझता है कि कोहरे के कारण दृश्यता बाधित हो रही है, तब वह गाड़ी को उस गति से चलाएगा जिस पर वह गाड़ी को नियंत्रित कर सके ताकि किसी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहे, किसी भी मामले में यह गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी ।
- (ii) लोको पायलट समपार फाटक के पास पहुँचते समय, गेटमैन (जहाँ नियुक्त हों) और सड़क उपयोगकर्ताओं को गाड़ी आ रही है, इसकी चेतावनी देने के लिए लगातार सीटी बजायेगा ।
- (iii) पूर्ण ब्लाक पद्धति में गाड़ी की गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि ऊपर मद संख्या-(i) में वर्णित है ।
- (iv) स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में गाड़ी की गति ऊपर के मद संख्या-(i) में उल्लिखित लोको पायलट के विवेक के अनुसार होगी और नीचे दी गई गति से अधिक नहीं होगी -
- (क) स्वचालित रोक सिगनल को 'हरा' संकेत पर पार करने पर, गाड़ी की गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी ।
- (ख) स्वचालित रोक सिगनल को 'दो पीला' संकेत पर पार करने पर, गाड़ी की गति 30 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी ।
- (ग) स्वचालित रोक सिगनल को एक 'पीला' संकेत पर पार करने पर, लोको पायलट और प्रतिबन्धित गति से चलेगा ताकि वह अगले रोक सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रह सके ।

नोट : (i) फॉग सेफ डिवाइस का प्रावधान:- विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपस्कर (फॉग सेफ डिवाइस) यदि उपलब्ध हो, कोहरे के दौरान कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाले सभी इंजनों के लोको पायलटों को प्रदान की जाए । जहाँ पर विश्वसनीय कोहरा सुरक्षा उपस्कर (फॉग सेफ डिवाइस) उपलब्ध है और वह कार्यरत अवस्था में हैं, वहाँ पर स.नि.3.61/1 (ख) (ii) में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत पटाखे लगाने की आवश्यकता नहीं है ।


नोट : (ii) यदि इंजन में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध न हो अथवा डिवाइस मार्ग में खराब हो जाए तो ऊपर वर्णित अधिकतम गति 75 कि.मी. प्रतिघंटा की बजाए 60 कि.मी. प्रतिघंटा या इससे कम लोको पायलट के विवेक के अनुसार होगी ।

नोट : (iii) सा.नि.4.16 (1) (ख) के अंतर्गत वर्णित अनुमोदित डिजाइन की फ्लैशिंग लाल रोशनी दर्शाने वाली लाल टेल लैम्प, कोहरे के मौसम के दौरान अंतिम वाहन दर्शाने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी और दिन अथवा रात के समय जाँच यंत्र के रूप में अंतिम वाहन पर प्रकाशित करके लगाई जाएगी ।

नोट : (iv) प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के लोकेशन का किलोमीटर चार्ट प्रत्येक लोको पायलट को जो कार्ड के रूप में हो जिसे आसानी से ले जाया जा सके या कार्य संचालन समय सारणी में उपलब्ध कराया जाए ।

नोट : (v) लॉबी में "साइन ऑन" के दौरान कर्मिदल और गार्ड को कोहरे की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए ।

दिनांक : 22.01.2020.



(रवि वल्लूरी)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

पृष्ठ संख्या-02 (कुल 02 पृष्ठ)

